संख्या- 19 / पी-568 /अड्तीस-9-2014-81(पीएमजीएसवाई)/2013टी0सी0-।।

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 24 जून, 2014**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 83.75 करोड की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-673/एफ-31(5)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2013-14, दिनांक-16.06.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 83,75,00,000/-(रूपये तिरासी करोड पचहत्तर लाख मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जाय, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक-14.03.2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के नाम से स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत बैंक खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जाय तथा उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-627/दस-2014, दिनांक-23 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 19 / पी-568 (1)/अड्तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

वित्तीय वर्ष 2014-2015

अनुदान संख्या व नाम: 13-ग्राम्य विकास विभाग **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध मूल अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
"-5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- **04**- जिला तथा अन्य सडकें- **337**- सडक निर्माण कार्य- **02**- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई)- **0201-** प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-**02** के अन्तर्गत सडकों का निर्माण (के0-75/रा0-25-के0+रा0)					
24- वृहत निर्माण कार्य	837500	837500	837500	837500	000000
योग-	837500	837500	837500	837500	000000

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
"-5054- सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-					

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत- **04**- जिला तथा अन्य सडकें- **337**- सडक निर्माण कार्य- **03**- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सडकों का निर्माण-					
24- वृहत निर्माण कार्य	862500	1700000	837500	837500	1700000
योग-	**862500**	**1700000**	**837500**	**837500**	**1700000**

(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

सम्बन्धित योजना में केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के दृष्टिगत वर्तमान में बचतें उपलब्ध है।

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के दृष्टिगत अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त में उत्तर प्रदेश बजट **संख्या-R.E- 025/ई-2-627/दस/2014, दिनांक- 23 जून, 2014** मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद ।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव
वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

संख्या:- 19 / पी-568 (3)/अड्तीस-9-2014-81(पीएमजीएसवाई)/2013 टी0सी0-।।, दिनांक- 24 जून, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड्क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4 - वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in